



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/ श्रावण 7, 1941

No. 273]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7, 1941

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 29 जुलाई, 2019

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.-आर.ओ./जी.एन./2019/25.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) तथा धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) और उसका परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(1) ये विनियम उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से या ऐसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रति लागू होंगे, जहाँ ऐसे शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों:

परंतु यह कि ये विनियम मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संस्थागत व्यापारिक प्लेटफॉर्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) पर, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए बिना सूचीबद्ध (लिस्टिड) प्रतिभूतियों के प्रति लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, शब्द “शेयर” में उच्चतर मताधिकारों वाले इक्विटी शेयर शामिल होंगे।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./162/19]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-2010/09/165992 द्वारा, 10 जून 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् -
  - क. 8 अक्टूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
  - ख. 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/27/541, द्वारा
  - ग. 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/010, द्वारा
  - घ. 12 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/030, द्वारा
  - ङ. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
  - च. 1 जून 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/23, द्वारा
  - छ. 14 नवम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/46, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th July, 2019

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES)  
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/25.**— In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30, sub-section (1) of section 11 and sub-section (2) of section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2019.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, in regulation 3, in sub-regulation (1), after the proviso, the following explanation shall be inserted, namely, -

*“Explanation:* For the purposes of these regulations, the term “shares” shall include equity shares having superior voting rights.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./162/19]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, were published in the Gazette of India on June 10, 2009, vide notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on -
  - a. October 8, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
  - b. March 24, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/27/541.
  - c. August 14, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/010.
  - d. January 12, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/30.
  - e. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of fees and mode of payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/037.
  - f. June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/23.
  - g. November 14, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/46.